



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-06082026-275258
CG-KA-E-06082026-275258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4171]
No. 4171]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पश्चिम रेलवे)
अधिसूचना

हुबबल्लि, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4347(अ).— यतः भारत सरकार, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/सड़क सुरक्षा परियोजनाएं/ मुख्यालय/ हुबबल्लि (सीएओ/ सी/ आरएसपी/ मु./हुबबल्लि) की अधिसूचना सा.का.नि. 944ई दिनांक 28.04.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2, खंड 20A के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुबबल्लि ने उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को "कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में अमृतपुरा-चित्रदुर्ग स्टेशनों के बीच कि.मी. 25/400-500 पर समपार संख्या 15 के स्थान पर सड़क उपरि पुल का निर्माण (हालियूर और मनांगी ग्राम)" के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त भूमि कर्नाटक राज्य में हालियूर और मनांगी ग्राम, चित्रदुर्ग तालुक, चित्रदुर्ग जिला में स्थित है। और यतः उक्त अधिसूचना का सार निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 26.04.2026 को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20A के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था: (1) डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी), (2) विजयवाणी (कन्नड़)। और यतः सक्षम प्राधिकारी को धारा 2, खंड 20D के अंतर्गत दायर आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिन पर विचार कर उनका उचित निपटारा कर

दिया गया है। और यतः रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपना प्रतिवेदन रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि को प्रस्तुत कर दिया है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति पर तथा रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि एतद्वारा घोषणा करता है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी चाहिए; और आगे, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, सीएओ/सी/आरएसपी/मु./हुब्लि एतद्वारा यह भी घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में हालियूरु और मनांगी ग्राम में स्थित, निर्माण सहित या निर्माण के बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गांव/तालुक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल भूमि क्षेत्र	अधिग्रहण क्षेत्र (ए-जी-ए)	भूमि स्वामी/हितधारक का नाम
1	हालियूरु / चित्रदुर्ग	217	कुल 0-12-00 खरबू 0-10-00, खुशकी भूमि	0-02-00	सरोजम्मा पुत्री स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, वनजाक्षम्मा पुत्री स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, मीनाक्षम्मा पुत्री स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, विरुपाक्षप्पा पुत्र स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, पालक्षप्पा पुत्र स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, नागभूषण पुत्र स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, पंपापति पुत्र स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा, उषा पुत्री स्व. ओ. आनंद उर्फ बी. ओहिलांडा ।

2	मनांगी / चित्रदुर्ग	100/2	कुल 0-06-00 खरबू 0-04-08, खुशकी भूमि	0-01-08	फैजुद्दीन के.एस. पुत्र सिराजुद्दीन
3	मनांगी / चित्रदुर्ग	100/3	कुल 0-08-00 खरबू 0-03-08, खुशकी भूमि	0-04-08	बी. चेतन पुत्र एच. भीमेश
4	मनांगी / चित्रदुर्ग	100/4	कुल 0-00-08 खरबू 0-04-08, खुशकी भूमि	0-00-08	सकम्मा पत्नी शेकरप्पा
5	मनांगी / चित्रदुर्ग	101/1	कुल 0-06-00 खरबू 0-01-08, खुशकी भूमि	0-04-08	बी. नरसिमामूर्ति पुत्र भीमप्पा
6	मनांगी / चित्रदुर्ग	101/2	कुल 0-05-08 खरबू 0-00-08, खुशकी भूमि	0-05-00	एस. लोहित पुत्र सी. टी. सत्यनारायणरा

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरएसपी/भूमि/ फाटक 15/ 20ई /2026]

निगप्पा चंदप्पा चलुवादि, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Western Railway)****NOTIFICATION**

Hubballi, the 6th August, 2026

S.O. 4347(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Chief Administrative Officer/Construction/ Road Safety Projects/Head Quarters/Hubballi (CAO/C/RSP/HQ/Hubballi) S.O. 944E dated.20.02.2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi, declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for " Construction of ROB in lieu of LC No.15 at KM:25/400-500 between Amritapura-Chitradurga stations (Haliyuru and Manangi Village)" Chitradurga District" in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in following daily news papers (1) Deccan Herald (English),(2) Vijayvani (Kannada) dated 26.04.2026, under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi, hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, CAO/C/RSP/HQ/Hubballi hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the village of Haliyuru and Manangi in Chitradurga District in the state of Karnataka

Sl. No.	Name of the Village/Taluk	Survey Nos.	Total Land Area	Area of land Acq in A-G-A	Name of the land Owner/Interested person
1	Haliyuru/ Chitradurga	217	Total 0-12-00 Kharabu 0-10-00, Khushki Land	0-02-00	Sarojamma D/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Vanajakshamma D/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Meenakshamma D/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Virupakshappa S/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Palakshappa S/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Nagabhushan S/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Pampapathi S/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda, Usha D/o Late O Ananda Yane B.Ohilaanda
2	Manangi/ Chitradurga	100/2	Total 0-6-00 Kharabu 0-04-08, Khushki Land	0-01-08	Phayjuddin K S S/o Sirajduddin
3	Manangi/ Chitradurga	100/3	Total 0-8-00 Kharabu 0-03-08, Khushki Land	0-04-08	B.Chethan S/o H Bheemesha
4	Manangi/ Chitradurga	100/4	Total 0-0-08 Kharabu 0-00-00, Khushki Land	0-00-08	Sakamma W/o Shekarappa
5	Manangi/ Chitradurga	101/1	Total 0-06-00 Kharabu 0-01-08, Khushki Land	0-04-08	B. Narasimamurthi S/o Bheemappa
6	Manangi/ Chitradurga	101/2	Total 0-05-08 Kharabu 0-00-08, Khushki Land	0-05-00	S. Lohith S/o C. T Sathyanarayanarao

[F. No. SWR/W.352/RSP/Land/LC 15/20E/2026]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer